

शीर्षक

1. अंकित आत्मज अशोक कुमार महाजन
 2. धर्मेश आत्मज अशोक कुमार महाजन
 3. तारादेवी पत्नि अशोक कुमार महाजन
 4. पुखराज आत्मज लक्ष्मीलाल महाजन
- सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. चुन्नीलाल आत्मज मांगीलाल स्वर्णकार
 2. हरकलाल आत्मज मांगीलाल स्वर्णकार
 3. पुखराज आत्मज मांगीलाल स्वर्णकार
 4. भगवतीलाल आत्मज मांगीलाल स्वर्णकार
 5. नंदकिशोर आत्मज मांगीलाल स्वर्णकार
 6. मिश्रीलाल आत्मज मांगीलाल स्वर्णकार
 7. अमरा आत्मज नान जी गाडरी
 8. कालु आत्मज नान जी गाडरी
 9. देवीलाल आत्मज नान जी गाडरी
 10. नानुराम आत्मज नान जी गाडरी
 11. रतनलाल आत्मज रामदास वैष्णव
 12. जमनादेवी पत्नि डालचन्द दरोगा
 13. लादुसिंह आत्मज डालचन्द दरोगा
 14. प्रेमीदेवी पत्नि भंवरलाल दरोगा
 15. चावण्डसिंह आत्मज भंवरलाल दरोगा
- सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री रितेश सुराणा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-06.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या एक लगायत तीन के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2322 रकबा 0.24 हे0, आराजी संख्या 2323 रकबा 0.24 , 2324 रकबा 0.25 हे0, 2325 रकबा 0.08 हे0, 2326 रकबा 0.15 हे0, 2397/2 रकबा 0.2011 हे0 कुल किता 06 कुल 1.1611 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 497 पर दर्ज होकर स्थित हैं।




इसी प्रकार ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आवादी में हम प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2327 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 2328 रकबा 0.04 कुल किता 02 कुल रकबा 0.14 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 619 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 15 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

वाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आवादी में प्रार्थीगण संख्या एक लगायत तीन के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2322 रकबा 0.24 हे0, आराजी संख्या 2323 रकबा 0.24 , 2324 रकबा 0.25 हे0, 2325 रकबा 0.08 हे0, 2326 रकबा 0.15 हे0, 2397/2 रकबा 0.2011 हे0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.1611 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 497 पर दर्ज होकर स्थित हैं। इसी प्रकार ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आवादी में हम प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2327 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 2328 रकबा 0.04 कुल किता 02 कुल रकबा 0.14 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 619 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण वतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/- (पांच सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/- (पांच सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अधिवक्ता
गंगापुर जिला न्यायालय
गंगापुर (भीलवाड़ा)